

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष

के लिए (पीएमएनआरएफ) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष" सभी दान आयकर अधिनियम, के तहत 80 की धारा 1961 %100 कर योग्य आय सेकटौती के लिए अधिसूचित किए जाते हैं।"